

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-2595 / FP/UK/ROAD/22084/2016 देहरादून:दिनांक: 28 अप्रैल, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:-जनपद टिहरी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जौनपुर विकासखण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0-15 से रंगडगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.8875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/98/2019/एफ0सी0/2212 दिनांक 06-01-2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हरतान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 19.774 हे0 ग्राम मौजा-रगड़ गांव की अनवरत सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रु0 60,61,344.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 19.774 हे0 ग्राम मौजा-रगड़ गांव की सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, जिसके अगिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में उप वन संरक्षक, मसूरी के पत्रांक 4162/12-1 दिनांक 28.01.2022 के द्वारा ग्राम मौजा-रगड़ गांव की सिविल सोयम भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का आलेख तैयार कर वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है। अधिसूचना की प्रत्याशा में आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अधिसूचना की प्रति पृथक से प्रेषित की जायेगी।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रु0 83,54,515.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की गई है।
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रु0 1,44,15,859.00 जमा करने के अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन के क्रम में कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 108 वृक्ष है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
7. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में उप वन संरक्षक, मसूरी द्वारा अवगत कराया गया है कि भविष्य में निर्माण कार्यों में प्रभावित हो रहे वृक्षों की गणना में त्रुटि ना हो, के लिए क्षेत्रीय वन कर्मियों को उनके स्तर से स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।
8. शर्त संख्या-8 के अनुपालन में उप वन संरक्षक, मसूरी द्वारा हरताक्षरित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन अधिनियम-1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

28/4/22
(बी0पी0 गुप्ता)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या-2595 / FP/UK/ROAD/22084/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1870/12-1 दिनांक 20.04.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1/

28/4/22
(बी0पी0 गुप्ता)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी